# GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## LABOUR DEPARTMENT ADMINISTRATION BRANCH

5 SHAM NATH MARG, DELHI-110054

E-mail: admn-labour@delhi.gov.in

Ph. No.: 011-23963334

F.1/31/1140/LC/Estt./Rectt.Rules/Ahlmad/2023/38/3-38/9 Date: 14/10/2024

#### **CIRCULAR**

Sub:-Amendment in Recruitment Rules of the post of Ahlmad in Labour Department, GNCTD.

It is for the information of all concerned that Recruitment Rules for the post of Ahlmad have been framed and published in Delhi Gazette (Extra-ordinary) Part- IV in English and Hindi version vide No. F.1/31/1140/LC/Estt./Rectt.Rules/Ahlmad/2023/2134-2137 dated 15.07.2024. The same can also be downloaded from <a href="https://egazette.gov.in/">https://egazette.gov.in/</a>.

(VIJAY CHANDNA)

Dy. LABOUR COMMISSIONER (ADMN.)

F.1/31/1140/LC/Estt./Rectt.Rules/Ahlmad/2023/38/3-38/9 Date: /4/10/2024 Copy for information and necessary action to:-

1. Pr. Secretary to Hon'ble Lieutenant Governor, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas, Delhi- 110054

2. The SO to Chief Secretary, Delhi, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi- 110002

3. Deputy Secretary (Services-IV), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.

4. PS to Secy-cum-Commissioner (Labour), Labour Department, GNCTD

5. PS to Addl. LC, Labour Department, GNCTD

6. The System Analyst, EDP Cell, Labour Department with a request to upload Recruitment Rules of the aforementioned post (enclosed Gazette notification) on the website of Department.

7. Guard File.

Dy. LABOUR COMMISSIONER (ADMN.)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-16072024-255466 SG-DL-E-16072024-255466

### असाधारण EXTRAORDINARY

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

दिल्ली, सोमवार, जुलाई 15, 2024/आषाढ 24, 1946 DELHI, MONDAY, JULY 15, 2024/ASHADHA 24, 1946 [रा.रा.सं.दि. सं. 104 [N. C. T. D. No. 104

No. 185]

भाग IV

### राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

PART IV

### श्रम विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 15 जुलाई, 2024

फा. 1/31/1140/एलसी/स्था0/भर्ती नियम/अहलमद/2023/2134—2137.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 6 जनवरी 1987 की अधिसूचना संख्या फा० 2(13)/83—एस० II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्रम विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में अहलमद के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :--
  - (i) इन नियमों को "अहलमद" भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
  - (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

- 3. भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :— उक्त पदों की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. अयोग्यता :- वह व्यक्ति,
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; अथवा
  - (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

- 5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
- 6. बचाव :— इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों अथवा किसी अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची-I

1.	पदनाम	:	अहलमद
2.	पदों की संख्या	:	12*(2024)
			* परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह-'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रुपये 19900-63200/-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद		गैर—चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धित, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नित/प्रितिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नित/प्रितिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नित :
			नियमित आधार उनकी नियुक्ति के उपरान्त प्रदान की गई ग्रेड में तीन (03) वर्षों की सेवा सिहत वेतन मैट्रिक्स के स्तर—1 (रुपये 18000—56900/—) तथा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से 12 कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष योग्यता धारण करने वाले विभागीय मल्टी टास्कींग स्टाफ (एमटीएस) में से।
			टीप 1 : इस पद्धति द्वारा चयनित उम्मीदवार को कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट (35 शब्द

			प्रति मिनट/30 शब्द प्रति मिनट का तात्पर्य 10,500 के.डी.पी.एच. /9000 के.डी.पी.एच. औसतन प्रति शब्द के लिये 05 की (Key) दबाने की क्षमता से है।) की टाइपिंग गित उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जब तक कि उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा छूट न दी जाए।  टीप 2: उन शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए टाइपराइटिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता में छूट है जो अन्यथा पूर्वोक्त पद धारण करने के लिए योग्य हैं तथा जिन्हें भारत सरकार द्वारा समय—समय पर जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसरण में, विनिर्धारित चिकित्सा बोर्ड द्वारा शारीरिक दिव्यांगता के कारण टाइप करने में असमर्थ होने के रूप में प्रमाणित किया गया है।  टीप 3: जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नित के लिए विचारणीय होंगे; बशर्तें कि अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा सेक अर्थवा पात्रता सेवा सेवा उन्हें अथवा पात्रता सेवा सेवा उन्हें के अथवा पात्रता सेवा सेवा अर्हक अथवा पात्रता सेवा सेवा सेवा अर्हक अथवा पात्रता सेवा सेवा सेवा अर्थवा पात्रता सेवा सेवा सेवा अर्थक अथवा पात्रता सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेव
			न्यून न हो अथवा आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने किनष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नित समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।		समूह 'ग' विभागीय पदोन्नित समिति (पदोन्नित के विचारार्थ)  1. प्रधान सचिव / सचिव (लो०नि०वि) — अध्यक्ष  2. संबंधित विभागाध्यक्ष — सदस्य  3. उप—सचिव (शह०वि०) — सदस्य  टीप :—यदि विभागीय पदोन्नित समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नित समिति के किसी भी अन्य सदस्य से किनष्ठ है, तो पदोन्नित के विचारार्थ विभागीय पदोन्नित समिति का विष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विजय चांदना, उप-श्रमायुक्त (प्रशा0)

### LABOUR DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 15th July, 2024

F. 1/31/1140/LC/Estt./Rectt.Rules/Ahlmad/2023/2134-2137.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs, and Notification No. G.S. R. 840 dated 13<sup>th</sup> July, 1959, and in supersession of Notification No. F.2(13)/83-S.II dated 6<sup>th</sup> January, 1987 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Ahlmad in the Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

### 1. Short title and commencement:

- (i) These rules may be called the "Ahlmad" Recruitment Rules, 2024.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

- 2. Number of Posts, Classification and Level of Pay in Pay Matrix: The number of the said posts, their classification and level of pay in Pay Matrix shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.: The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.
- 4. Disqualifications: No person,
  - a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax: Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.
- 6. Saving: Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE -I

1	Name of post	Ahlmad
2	No. of Posts	12* (2024)
		* Subject to variation dependent on workload
3	Classification	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial
4	Pay Level in the Pay Matrix	Level-2 (Rs. 19900-63200) in the Pay Matrix
5	Whether selection post or non-selection	Non-Selection
6	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable
8	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable
9	Period of Probation, if any	Not Applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	100% by Promotion
11	In case of recruitment by promotion/ deputation / transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	Promotion: From Departmental Multi-Tasking Staff (MTS) in Level-1 (Rs. 18000-56900/-) in the pay matrix with three (03) years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and possessing the qualification of 12 <sup>th</sup> pass or equivalent from a recognized Board or Institutions.

		Note-1: The candidates selected by this method shall be required to pass a typing Speed of 35 w.p.m in English OR 30 w.p.m in Hindi on Computer (35 w.p.m/30 w.p.m correspond to 10,500 K.D.P.H/9000 K.D.P.H on an average of 05 key depressions for each word) unless exempted by the Lt. Governor of Delhi.	
		Note-2: The requirement of passing typewriting test is relaxable for physically handicapped persons who are otherwise qualified to hold the aforesaid post and who are certified as being unable to type on account of physical disability by the prescribed Medical Board in accordance with the prevailing instructions of Government of India issued from time to time.	
		Note-3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	
12	If a DPC, exists, what is its composition	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):	
		1. Pr. Secretary/ Secretary (PWD)- Chairperson	
		2. Head of Department Concerned – Member	
		3. Deputy Secretary (UD) - Member	
		Note: Senior Most member of the Departmental Promotion Committee for considering promotion shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Promotion Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.	
13	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Consultation with UPSC is not necessary.	

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

VIJAY CHANDNA, Dy. Labour Commissioner (Admn.)